DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता

पहल : स्वतंत्रता के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संहिता की नियमावली एवं पोर्टल को किया लांच

पूरे देश में जाएगी उत्तराखंड से निकली समान नागरिक संहिता की गंगा : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण ● देहरादून: उत्तराखंड में सभी नागरिकों, धर्मों व वर्गों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गई है। दो वर्ष आठ माह तक चली कसरत के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी नियमावली व पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण करने के साथ ही राज्य में इसे लागू करने की घोषणा की। समान नागरिक संहिता में विवाह, विवाह विच्छेद व लिव इन का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। साथ ही पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है। मृतक की संपत्ति पर पत्नी व बच्चों के साथ ही माता-पिता का भी अधिकार होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही बहुविवाह पर भी रोक लग गई है। यह कानून राज्य के नागरिकों के साथ ही उत्तराखंड में एक वर्ष से अधिक समय से निवास करने वालों, उत्तराखंड के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व केंद्रीय कार्यालयों के स्थानांतरण की श्रेणी में न आने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें सभी के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर सबसे पहले अपने विवाह का पंजीकरण कराया। इसका प्रमाणपत्र मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उन्हें सौंपा। इस दौरान समान नागरिक संहिता के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले पांच अन्य लोगों को भी प्रमाण पत्र सौंपे गए।

सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि यह किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज की कुप्रथाओं को हटाकर सभी को समानता का अधिकार देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें किसी भी मान्यता व प्रथा को नहीं बदला गया है। इसमें आनंद कारज, निकाह, सात फेरे या चर्च में शादी करने की किसी प्रथा को नहीं बदला गया है। केवल विभिन्न धर्मों में व्याप्त कुप्रथाओं को बदला गया है। इससे हलाला, इद्दत, तीन तलाक व बहुविवाह जैसी प्रथाएं समाप्त हो जाएंगी। समान नागरिक संहिता पहले से ही मुस्लिम देशों समेत कई देशों में लागू है। उन्होंने कहा कि लिव इन का पंजीकरण अनिवार्य करने से इसमें रहने वालों को सुरक्षित किया गया है। लिव इन में रहने वालों की सूचना उनके माता-पिता को भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 जनवरी को अब हर वर्ष समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को इसके प्रति प्रेरित करने के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों का विवाह समान नागरिक संहिता लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक के आदेश हुए हों अथवा विवाह निरस्त हुआ हो तो पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर उनसे पहले छह माह में किसी भी तरह का पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, कुलपति दून विवि डा सुरेखा डंगवाल, समाजसेवी मनु गौड़, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा और निदेशक आइटीडीए निकिता खंडेलवाल के योगदान की सराहना की। इसके बाद सचिव गृह शैलेश बगौली ने 27 जनवरी से इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।

महिला अधिकारों की रक्षा पर आधारित है संहिता ›› पेज 8

देहरादून में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की नियमावली का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ में (दाएं से) वित मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद भट्ट, (बाएं) कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्या, व सौरभ बहुगुणा, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ● जागरण

समान नागरिक संहिता : कब क्या हुआ

- फरवरी **2022** : विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री धामी ने सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की।
- **27** मई 2022 : समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने को विशेषज्ञ समिति गठित।
- **02** फरवरी 2024 : समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
- **08** फरवरी 2024 : विधानसभा ने विधेयक किया पारित।
- **08** मार्च 2024 : राष्ट्रपति ने दी विधेयक को स्वीकृति।
- **12** मार्च 2024 : बना समान नागरिक संहिता अधिनियम।
- **14** मार्च 2024 : नियमावली बनाने के लिए समिति गठित।
- **18** अक्टूबर 2024 : समिति ने नियमावली सरकार को सौंपी।
- **27** जनवरी 2025 : सरकार ने समान नागरिक संहिता को किया लागू।

News paper – Danik Jagran
Date - 28.01.2025